



## सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय, निर्यात (एन.एस. -III)

मूल्यनिरूपण मुख्य (आयात)

जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन, पोस्ट शेवा

तालुका - उरण , जिला-रायगड , महाराष्ट्र - 400 707

(ईमेल: [appraisingmain.jnch@gov.in](mailto:appraisingmain.jnch@gov.in))

टेलीफोन /Telephone No. 022-27244779)

फाइल संख्या . S/22-GEN-133/2017-18/ AM(I) NS-I

दिनांक: 06.09.2019.

**सार्वजनिक सूचना संख्या : 77 /2019**

**विषय : 'बिल ऑफ एंट्री' विलंब से फाइल करने पर लगने वाले शुल्क से छूट- संबन्धित ।**

\*\*\*\*\*

आयातकों / निर्यातकों, सीमाशुल्क ब्रोकर्स, व्यापारिक वर्ग, सीमाशुल्क अधिकारियों और अन्य हितधारकों का ध्यान बी/ई की विलंब से प्रस्तुति के लिए शुल्क से संबंधित दिनांक 3.07.2017 के स्थायी आदेश संख्या 17/2017 की ओर आकर्षित किया जाता है ।

2. दिनांक 4.09.2019 को भारी वर्षा के कारण, व्यापारिक वर्ग को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 और बिल ऑफ इंट्री (प्रपत्र) विनियम, 2018 के नियम 4 (1) के तहत निर्धारित समयावधि के भीतर बिल ऑफ इंट्री दाखिल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा ।

3. अतः व्यापार सुविधा उपाय के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि विलंब शुल्क तय करने की अवधि की गणना में दिनांक 04.09.2019 की गणना नहीं की जाएगी। अतः देर से दाखिल किए जाने पर लागने वाले शुल्क से छूट केवल 04.09.2019 तक सीमित रहेगी।

4. इस संबंध में यदि कोई समस्या आती है तो इसे अपर आयुक्त, सीमाशुल्क, मूल्यनिरूपण मुख्य (आयात) के संज्ञान में लाया जाये ।

5. इस सार्वजनिक सूचना को अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्थायी आदेश माना जाना चाहिए।

  
(एस के मल्ल)

सीमाशुल्क आयुक्त  
जेएनसीएच, (न्हावा शेवा-1)

**प्रतिलिपि :**

1. जे.एन.सी.एच., मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क, मुंबई अंचल-II
2. आयुक्त, सीमाशुल्क, एन.एस.-जी/ एन.एस.-II/ एन.एस.-III/ एन.एस.-IV/एन एस -V, जेएनसीएच
3. सभी अपर/संयुक्त आयुक्त, जे.एन.सी.एच
4. सभी उप/सहा.आयुक्त, जे.एन.सी.एच
5. सभी अनुभाग/ एन.एस.-जी/ एन.एस.-II/ एन.एस.-III/ एन.एस.-IV/एन एस -V, जेएनसीएच के ग्रुप
6. सहा/उप आयुक्त ईडीआई जेएनसीएच नैनापट्टन में अधिनियम अपडेटिंग करने के लिए